

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 21-02-2019

--: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. स.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास
1.	93/2011	श्री सतीश कुमार स्वामी, सहायक अनुभागाधिकारी, राज्यमंत्री कारागार, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2039	4/168, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-981)
2.	66/2011	श्री प्रशान्त कुमार कनिष्ठ सहायक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर	31.08.2043	4-डी-16, बहुमंजिला, गाँधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
3.	77/2011	श्री मुकेश मीणा, सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	31.08.2044	4/43, गाँधीनगर
4.	78/2011	श्री सज्जन कुमार, वरिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2022	4/48, गाँधीनगर
5.	89/2014	श्री संजय टिकर, अनुभागाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	31.03.2034	4/55, गाँधीनगर
6.	80/2011	श्री नाथू लाल मीणा, सहायक रेडियोग्राफर, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर	31.10.2033	4/63, गाँधीनगर
7.	81/2011	श्री मुकेश कुमार मीणा, क0 विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर	31.08.2036	4/68, गाँधीनगर
8.	82/2011	श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, क0 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त "जी" वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	31.07.2034	4/78, गाँधीनगर
9.	100/2014	श्री सुन्दर लाल, सहायक अनुभागाधिकारी, गृह (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2026	4/95, गाँधीनगर
10.	83/2011	श्री रामस्वरूप मीणा, नर्स ग्रेड-II, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर	30.09.2045	4/96, गाँधीनगर
11.	85/2011	श्री चेता सन मीना, कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर उपखण्ड-viii (उत्तर), जयपुर	31.08.2035	4/97, गाँधीनगर
12.	87/2011	श्री उमेश कुमार, सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	30.11.2037	4/110, गाँधीनगर
13.	111/2014	श्री दलजीत सिंह, सहायक अनुभागाधिकारी, निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2041	4/115, गाँधीनगर
14.	88/2011	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय शिक्षा उप निदेशक प्रा0 शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर	31.01.2025	4/123, गाँधीनगर
15.	89/2011	श्री रामशरण शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय जयपुर ग्रामीण, जयपुर	28.02.2031	4/127, गाँधीनगर
16.	90/2011	श्री रामराज जांगिड, वरिष्ठ लिपिक, सम्पदा विभाग, जयपुर	31.10.2040	4/132, गाँधीनगर
17.	125/2014	श्री जगदीश नारायण मीना, अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (अनु-5) विभाग,	30.06.2039	4-डी-19, बहुमंजिला गाँधीनगर

		शासन सचिवालय, जयपुर		
18.	91/2011	श्री प्रकाश चंद छीपा, कनिष्ठ लिपिक, कृषि निदेशालय, जयपुर	31.07.2024	4/133, गाँधीनगर
19.	92/2011	श्री रमेश कुमार, कनिष्ठ लिपिक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	31.05.2032	4/134, गाँधीनगर
20.	94/2011	श्री भैरू राम बैरवा, वरिष्ठ लिपिक, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	30.11.2029	4/137, गाँधीनगर
21.	130/2014	श्री योगेश शर्मा, सहायक अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.01.2044	4-ए-20, बहुमंजिला गाँधीनगर
22.	95/2011	श्री धर्मराज रोलानियाँ नर्स ग्रेड II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2044	4-ए-21, बहुमंजिला गाँधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 2, 17, 21, एवं 22, पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षर एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४०

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. आयुक्त, वृत्त 'जी' वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. अतिरिक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।

12. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/गणगौरी बाजार चिकित्सालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, प्रा0 शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
15. कोषाधिकारी, कोषकार्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
16. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
17. निदेशक, कृषि निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
18. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
19. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
20. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
21. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
22. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
24. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
25. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
26. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
27. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
28. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी, के हस्ताक्षर मय मोहर